

**भारत सरकार**  
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1894**

दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

**गर्भवती महिलाओं के लिए खाद्य सुरक्षा**

**1894. श्री के. सुधाकरन:**

**एडवोकेट डीन कुरियाकोस:**

**श्री ससिकांत सेंटिल:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत मातृत्व लाभों को प्रति परिवार एक या दो बच्चों तक सीमित करना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का उल्लंघन करता है, जिसमें सभी गर्भवती महिलाओं को ये लाभ देना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत यथा निर्धारित सभी गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का विचार मुद्रास्फीति के अनुरूप 6000/-रुपये प्रति बच्चा की वर्तमान लाभ राशि में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) विगत दस वर्षों के दौरान देश में सभी गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार उपलब्ध कराने के बजट आवंटन और निधियों के उपयोग का केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**  
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**  
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

(क) से (ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला तथा स्तनपान कराने वाली माता (पीडब्लूएंडएलएम), सिवाय उनके जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रोजगार में हैं या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किस्तों में कम से कम छह हजार रुपये के मातृत्व लाभ की हकदार होंगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 22 दिसंबर, 2022 को एनएफएसए की धारा 39 की उप-धारा 3 के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना नियम, 2022 (पीएमएमवीवाई नियम) अधिसूचित किया है। पीएमएमवीवाई नियम क्रमशः 3 फरवरी, 2023 और 8 फरवरी, 2023 को लोकसभा एवं राज्यसभा के पटल पर भी प्रस्तुत किए गए ।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्लू एंड एलएम), गर्भावस्था और स्तनपान की अवधि के दौरान को 5,000/-रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है। पात्र लाभार्थी को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन भी मिलता है ताकि औसतन एक महिला को 6,000/-मिल सके ।

सामान्यतः महिला की पहली गर्भावस्था उसे नई तरह की चुनौतियों और तनाव कारकों से अवगत कराती है। इसलिए, यह योजना माता को उसके पहले बच्चे के सुरक्षित प्रसव और टीकाकरण के लिए सहायता प्रदान करती है।

मिशन शक्ति के तहत दिनांक 01.04.2022 से बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए, लाभार्थियों को दूसरे बच्चे के लिए भी 6000 रूपए का मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो।

पीएमएमवीवाई के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रत्येक गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से मुफ्त भोजन प्राप्त करने की हकदार हैं, जिससे एनएफएसए अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट पोषण मानकों को पूरा किया जा सके। ये खाद्यान्न गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी) के माध्यम से राज्यों को आवंटित किए जा रहे हैं, जिसमें खाद्यान्न (गेहूं/चावल/ मोटे अनाज (बाजरा) एनएफएसए दरों पर पूरक पोषण के रूप में उपयोग के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान देश में रिपोर्ट की गई उपयोगिता और उपयोग का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

## अनुलग्नक

‘गर्भवती महिलाओं को खाद्य सुरक्षा’ के संबंध में श्री के सुधाकरन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस और श्री ससिकांत सेंटिल द्वारा दिनांक 06.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1894 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण  
वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के अंतर्गत जारी की गई निधियों और उपयोग में केंद्रीय हिस्सेदारी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र म सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17		2017-18	
		जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
1	आंध्र प्रदेश	3.15	310.90	315.97	294.20
2	बिहार	5.25	518.39	537.42	599.80
3	छत्तीसगढ़	224.62	254.87	257.25	229.05
4	गोवा	5.91	8.85	10.11	10.07
5	गुजरात	361.63	464.24	384.97	380.13
6	हरियाणा	71.31	55.39	39.46	36.05
7	झारखंड	287.23	287.23	253.47	253.47
8	कर्नाटक	339.15	447.02	560.09	500.09
9	केरल	83.06	109.87	109.77	109.77
10	मध्य प्रदेश	557.79	668.31	667.76	676.23
11	महाराष्ट्र	320.53	-47.12	414.46	587.19
12	ओडिशा	255.20	342.81	473.16	443.59
13	पंजाब	31.25	22.62	52.82	8.09
14	राजस्थान	330.46	390.38	349.32	366.61
15	तमिलनाडु	260.18	282.61	331.87	332.11
16	तेलंगाना	174.19	174.73	181.31	190.06
17	उत्तर प्रदेश	1607.84	1662.04	1293.54	777.77
18	पश्चिम बंगाल	304.62	540.66	676.98	813.25
19	दिल्ली	75.51	41.63	40.51	7.64
20	पुदुचेरी	17.02	17.02	8.51	8.51
21	हिमाचल प्रदेश	46.62	46.62	57.96	57.96
22	जम्मू और कश्मीर	40.35	-8.79	40.35	-31.95
23	उत्तराखंड	46.49	84.69	152.12	167.34
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.63	2.63	2.85	2.85
25	चंडीगढ़	1.90	1.90	5.92	5.92
26	दादरा एवं नगर हवेली	2.04	2.04	1.30	1.30
27	दमन और दीव	1.74	1.74	1.31	1.31
28	लक्षद्वीप	0.68	0.68	0.85	0.85
29	अरुणाचल प्रदेश	40.53	35.67	40.35	34.36
30	असम	179.21	136.00	315.55	171.14
31	मणिपुर	5.00	-5.09	52.44	33.23

32	मेघालय	111.85	124.28	122.39	123.07
33	मिजोरम	21.57	16.96	15.39	11.40
34	नागालैंड	106.11	107.09	70.00	64.23
35	सिक्किम	6.44	4.71	4.81	1.81
36	त्रिपुरा	40.11	38.17	64.57	67.50
<b>कुल</b>		<b>6800.65</b>	<b>7141.77</b>	<b>7906.90</b>	<b>7335.97</b>

(करोड़ रुपये में)

क्र म सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19		2019-20	
		जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
1	आंध्र प्रदेश	373.54	364.12	327.26	355.07
2	बिहार	769.88	743.01	761.01	771.38
3	छत्तीसगढ़	242.80	202.53	209.31	297.03
4	गोवा	8.60	8.45	8.26	8.32
5	गुजरात	320.52	233.92	336.72	405.42
6	हरियाणा	73.05	41.95	42.05	42.95
7	झारखंड	290.83	273.73	229.59	218.07
8	कर्नाटक	435.89	387.60	426.58	517.28
9	केरल	107.85	130.07	140.85	138.36
10	मध्य प्रदेश	640.89	652.10	715.35	696.50
11	महाराष्ट्र	1065.35	765.57	789.49	798.87
12	ओडिशा	434.51	448.26	494.67	500.69
13	पंजाब	37.44	53.27	53.47	35.17
14	राजस्थान	349.51	296.00	299.14	282.32
15	तमिलनाडु	372.71	368.39	373.42	369.19
16	तेलंगाना	220.46	213.99	225.20	213.26
17	उत्तर प्रदेश	1045.79	1502.32	1486.86	1530.36
18	पश्चिम बंगाल	680.47	678.72	598.62	777.38
19	दिल्ली	34.75	56.09	44.26	63.27
20	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
21	हिमाचल प्रदेश	69.76	69.58	76.56	61.52
22	जम्मू और कश्मीर	21.29	73.30	23.41	43.17
23	उत्तराखंड	136.13	154.24	133.08	154.85
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.70	2.98	3.27	3.27
25	चंडीगढ़	7.70	7.70	7.06	7.06
26	दादरा एवं नगर हवेली	1.69	1.69	1.86	1.86
27	दमन और दीव	1.70	1.70	1.40	1.40
28	लक्षद्वीप	1.00	1.00	0.55	0.55
29	अरुणाचल प्रदेश	44.11	44.71	23.33	40.06
30	असम	305.97	340.51	495.42	627.08
31	मणिपुर	71.34	44.65	49.80	43.65
32	मेघालय	123.64	123.64	115.83	114.57
33	मिजोरम	18.43	18.17	20.41	20.41
34	नागालैंड	82.31	69.07	73.90	79.68
35	सिक्किम	4.51	4.84	2.91	4.88
36	त्रिपुरा	77.82	77.82	70.28	69.62
<b>कुल</b>		<b>8475.92</b>	<b>8455.69</b>	<b>8661.18</b>	<b>9294.52</b>

(करोड़ रुपये में)

क्र म सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21		2021-22	
		जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
1	आंध्र प्रदेश	371.36	396.21	382.68	397.43
2	बिहार	856.08	922.49	883.69	924.32
3	छत्तीसगढ़	245.93	262.23	267.72	242.53
4	गोवा	8.59	8.23	4.41	4.79
5	गुजरात	336.72	505.26	505.26	447.68
6	हरियाणा	59.19	96.31	59.19	46.02
7	झारखंड	260.34	136.10	175.95	57.88
8	कर्नाटक	410.00	584.45	581.02	612.34
9	केरल	130.50	171.11	190.83	189.05
10	मध्य प्रदेश	744.06	553.39	553.39	554.13
11	महाराष्ट्र	663.31	861.47	1052.39	989.46
12	ओडिशा	502.99	504.34	494.54	455.01
13	पंजाब	43.41	56.40	45.30	44.28
14	राजस्थान	348.94	367.03	313.99	434.25
15	तमिलनाडु	390.22	371.67	363.37	398.14
16	तेलंगाना	215.22	251.39	246.81	257.78
17	उत्तर प्रदेश	1390.64	888.00	1390.64	1531.97
18	पश्चिम बंगाल	658.48	316.60	329.24	796.47
19	दिल्ली	65.40	71.79	78.25	70.56
20	पुदुचेरी	0.00	0.85	0.00	5.21
21	हिमाचल प्रदेश	69.20	70.24	57.66	55.74
22	जम्मू और कश्मीर	46.30	35.12	34.59	45.76
23	उत्तराखंड	146.29	152.76	152.76	157.35
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.06	4.06	2.03	2.33
25	चंडीगढ़	6.33	6.33	7.03	14.81
26	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	4.10	4.10	4.10	4.06
27	लद्दाख	5.54	5.54	2.77	2.77
28	लक्षद्वीप	0.91	0.91	1.46	1.71
29	अरुणाचल प्रदेश	37.08	37.68	47.26	38.45
30	असम	544.96	697.60	697.60	733.79
31	मणिपुर	106.97	66.68	85.89	78.17
32	मेघालय	116.49	112.25	110.51	113.50
33	मिजोरम	22.88	22.88	18.63	18.37
34	नागालैंड	82.33	82.33	82.33	82.33
35	सिक्किम	3.36	5.18	3.03	4.92
36	त्रिपुरा	65.03	72.62	68.83	58.78
<b>कुल</b>		<b>8963.22</b>	<b>8701.60</b>	<b>9295.17</b>	<b>9872.16</b>

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23		2023-24	
		जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
1	आंध्र प्रदेश	406.38	314.59	327.40	उपयोगिता प्रमाणपत्र शेष नहीं
2	बिहार	951.94	883.68	897.23	
3	छत्तीसगढ़	264.50	273.18	285.43	
4	गोवा	6.88	8.25	5.66	
5	गुजरात	616.22	264.79	767.26	
6	हरियाणा	49.53	52.68	49.47	
7	झारखंड	166.47	385.24	356.22	
8	कर्नाटक	581.02	491.94	434.93	
9	केरल	208.30	152.57	161.95	
10	मध्य प्रदेश	521.48	525.90	454.73	
11	महाराष्ट्र	1021.76	984.05	909.42	
12	ओडिशा	449.42	474.13	452.30	
13	पंजाब	65.68	86.68	140.47	
14	राजस्थान	627.96	487.60	614.61	
15	तमिलनाडु	383.59	406.60	489.78	
16	तेलंगाना	284.29	238.61	237.73	
17	उत्तर प्रदेश	1889.49	1744.26	1488.07	
18	पश्चिम बंगाल	654.12	927.69	714.18	
19	दिल्ली	83.41	87.73	87.33	
20	पुदुचेरी	0.00	4.64	2.62	
21	हिमाचल प्रदेश	51.70	70.97	62.69	
22	जम्मू और कश्मीर	69.47	40.62	67.50	
23	उत्तराखंड	163.82	157.35	38.19	
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	2.68	
25	चंडीगढ़	23.28	23.28	10.48	
26	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	4.45	4.45	7.74	
27	लद्दाख	6.23	6.23	4.26	
28	लक्षद्वीप	0.43	0.43	1.79	
29	अरुणाचल प्रदेश	37.82	36.40	32.88	
30	असम	887.47	682.62	674.70	
31	मणिपुर	10.70	62.98	86.93	
32	मेघालय	115.37	118.86	123.56	
33	मिजोरम	11.44	11.44	24.84	
34	नागालैंड	89.18	89.18	97.33	
35	सिक्किम	2.33	2.59	0.00	
36	त्रिपुरा	56.21	78.85	101.09	
कुल		10762.35	10181.08	10213.44	

\*\*\*\*\*